रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227400 CG-DL-E-07062021-227400

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2010] No. 2010] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

का.आ. 2167(अ.)—श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ परामर्श करके कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अथवा एक माह पश्चात इस अधिनियम के उपबंधों का इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों की श्रेणियों तक विस्तारित करने का एतद्वारा नोटिस देता है।

- 1. उक्त अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि में किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति अथवा सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
- 2. आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, तो श्री मदन चौरसिया, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 (madan.c@nic.in) को भेजे जा सकते हैं।

अनुसूची

प्रतिष्ठानों का विवरण	क्षेत्र जिनमें प्रतिष्ठान स्थित हैं	कर्मचारियों की श्रेणी जिन पर
		यह अधिनियम लागू होता है
(1)	(2)	(3)
वे प्रतिष्ठान जिनमें 10 अथवा अधिक व्यक्ति	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के	सभी नैमित्तिक एवं संविदा
नियोजित हैं अथवा पूर्ववर्ती 12 माह में किसी	सभी क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा	कर्मचारी।

3021 GI/2021 (1)

दिन नियोजित थे, नामत: -	अधिनियम, 1948 इस अधिनियम	
केन्द्रीय/ राज्य विधान के अंतर्गत स्थापित नगर	की धारा-1 की उप-धारा (3) के	
निगम/परिषद ।	अंतर्गत पहले से ही लागू किया जा चुका है।	

[सं. एस-38025/03/2017-एसएस-।]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2021

- **S.O. 2167 (E)**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Government of India, Ministry of Labour and Employment in consultation with the Employees' State Insurance Corporation hereby gives notice of its intention to extend the provisions of the Act to the classes of establishments specified in the schedule annexed thereto, on or after one month from the date of publication in the official gazette.
 - 1. Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said notification within the period specified above, will be considered by the Central Government.
 - 2. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Madan Chaurasia, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi 110001 (madan.c@nic.in).

SCHEDULE

Description of establishments	Areas in which the establishments	Category of employees to
	are situated	whom the Act applies
(1)	(2)	(3)
The establishments whereon ten or	All the areas in the National	All casual & contractual
more persons are employed or were	Capital Territory of Delhi where	employees.
employed on any day of the	Employees' State Insurance Act,	
preceding twelve months, namely:-	1948 has already been brought into	
Municipal Corporations/ Council,	force under Sub-Section (3) of	
established under Central/	Section 1 of the Act.	
State legislation.		

[F.No. S-38025/03/2017-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.